भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1620
बुधवार, 29 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनसीसीआर का माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण संबंधी अध्ययन

†1620. श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (एनसीसीआर) ने देश के विभिन्न भागों, विशेषकर थूथुकुडी तट और मन्नार की खाड़ी में समुद्री पानी, समुद्र तट की रेत, तलछट और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति और मात्रा का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित स्थान कौन से हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर थूथुकुडी तटी और मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए सुधारात्मक और शामक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हाँ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के माध्यम से, थूथुकुडी और मन्नार की खाड़ी सहित भारतीय तट के चुनिंदा स्थानों पर माइक्रोप्लास्टिक, मेसोप्लास्टिक, मैक्रोप्लास्टिक्स और समुद्री कूड़े की स्थिति का निगरानी करता है। अध्ययनों मे ऐसे संकेत प्राप्त हुए हैं कि सिंथेटिक फिलामेंट्स माइक्रोप्लास्टिक का प्रमुख प्रकार है, जबकि रिवरीन डिस्चार्ज, और परित्यक्त, खोए हुए या छोड़े हुए मछली पकड़ने के उपकरण (एएलडीएफजी) माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं।

एनसीसीआर ने तटीय वातावरण संबंधी उपलब्ध डेटा में माइक्रोप्लास्टिक और मैक्रोप्लास्टिक की प्रचुरता के आधार पर एक क्लीन कोस्ट इंडेक्स (सीसीआई) विकसित किया है। क्लीन कोस्ट इंडेक्स आकलन में थूथुकुडी तट और मन्नार की खाड़ी को 'मध्यम रूप से साफ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मन्नार की खाड़ी और थूथुकुडी तट पर तलछट में माइक्रोप्लास्टिक प्रचुरता की रेंज 28 से 60 पार्टिकल प्रति 50 ग्राम तलछट पाई गई है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर, इस क्षेत्र में किसी भी प्रमुख माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की पहचान नहीं की गई है।

(ख) राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) भारतीय तट पर समुद्री कचरे और माइक्रोप्लास्टिक्स की वैज्ञानिक निगरानी और मूल्यांकन करता है, और नीति निर्माण व प्रबंधन के लिए संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं, जिनमें 1 जुलाई 2022 से कम उपयोगिता और कचरा फैलाने की ज्यादा संभावना वाले एकल-उपयोग प्लास्टिक (SUP) वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशानिर्देश पेश करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 भी अधिसूचित किया है। ये दिशानिर्देश कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के संग्रह, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग और रिसाइकल्ड प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिससे संवहनीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिले और प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम किया जा सके। वर्ष 2022 से अब तक ईपीआर फ्रेमवर्क के अंतर्गत लगभग 232 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को संसाधित किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति का मसौदा तैयार किया गया है और परामर्श के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।
